प्रेषक,

महानिदेशक,
परिवार कल्याण,
परिवार कल्याण महानिदेशालय,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

सेवा में,

1. समस्त मण्डलीय अपर निदेशक,
चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उत्तर प्रदेश।

2. मुख्य चिकित्सा अधिकारी, गोण्डा
जनपद–आगरा, अलीगढ़, इलाहाबाद, आजमगढ़, बस्ती, बरेली, चित्रकूट, देवीपाटन, फैजाबाद, गोरखपुर, झाँसी, कानपुर, लखनऊ, मेरठ, मुरादाबाद, मिर्जापुर, सहारनपुर, वाराणसी।

पत्र संख्याः प0क0/08–प्रशिक्षण/ए.एफ.एच.एस./2012–13/ 3561-36 दिनांक : 8/3/2013

विषय :–मण्डलीय मुख्यालय जनपदों के जिला महिला/पुरुष चिकित्सालय में एडोलेसेन्ट फ्रेण्डली हेल्थ क्लीनिक हेतु संविदा पर ए0एफ0एच0 काउन्सलर्स की तैनाती हेतु दिशा निर्देश।

महोदय/महोदया,

आप अवगत हैं कि भारत सरकार द्वारा मण्डलीय मुख्यालय के जनपद के जिला पुरुष/महिला चिकित्सालय में किशोर/किशोरियों हेतु एक–एक ए0एफ0एच0एस0 क्लीनिक की स्थापना हेतु स्वीकृति प्रदान की गई है जिसके लिए मिशन निदेशक, राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के कार्यालय के पत्र संख्या–एस.पी.एम.यू./ए.एफ.एच.एस./39/2012–13/3140–18 दिनांक–14 फरवरी, 2013 के द्वारा धनराशि तथा प्राथमिक दिशा निर्देश निर्गत किये गये हैं। तदोपरान्त महानिदेशक परिवार कल्याण के पत्र दिनांक–28 फरवरी, 2013 द्वारा विस्तृत दिशा–निर्देश प्रेषित किये गये हैं। आशा है कि आप द्वारा जनपद के जिला पुरुष/महिला चिकित्सालय में एक–एक ए0एफ0एच0एस0 क्लीनिक की स्थापना तथा दोनों ए0एफ0एच0एस0 क्लीनिक्स पर एक–एक काउन्सलर की संविदा पर तैनाती हेतु जिला स्वास्थ्य समिति से अनुमोदन प्राप्त कर अपेक्षित कार्यवाही आरम्भ कर दी गयी होगी। यदि डी0एच0एस0 की मीटिंग अभी संभव नहीं है, तो अध्यक्ष–जिला स्वास्थ्य समिति से योजना का विवरण देते हुए पत्रावली पर अनुमोदन प्राप्त कर लें।

ए0एफ0एच0 क्लीनिक के संचालन हेतु पुरूष चिकित्सालय में एक पुरूष काउन्सलर तथा महिला चिकित्सालय में एक महिला काउन्सलर की तैनाती की जाएगी। इस कार्य के लिए एक चयन समिति निम्नवत गठित की जाय।

अ– चयन समिति के सदस्य–

1.	मण्डलीय अपर निदेशक	–	अध्यक्ष
2.	मुख्य चिकित्सा अधिकारी	–	सदस्य सचिव
3.	सी0एम0एस0 जिला महिला चिकित्सालय अथवा उनके प्रतिनिधि	–	सदस्य
4.	सी0एम0एस0 जिला पुरुष चिकित्सालय अथवा उनके प्रतिनिधि	–	सदस्य
5.	जिलाधिकारी द्वारा नामित अधिकारी	–	सदस्य
6.	मण्डलीय कार्यक्रम प्रबंधक	–	सदस्य
7.	जनपदीय नोडल अधिकारी–अर्श/स्कूल स्वास्थ्य	–	सदस्य

नोटः– उपरोक्त चयनित समिति के सदस्यों में यदि अनुसूचित जाति/जनजाति/ अन्य पिछड़ा वर्ग/ अल्पसंख्यक का सदस्य न हो, तो उस स्थिति में जनपदीय नोडल अधिकारी के स्थान पर अपर मुख्य चिकित्सा अधिकारी स्तर के अधिकारी को सदस्य रखा जाये, जो उल्लिखित वर्ग का हो।

चयन प्रकिया में आरक्षण नियमों का पूर्णतः पालन सुनिश्चित करते हुये प्रकिया को पूर्ण किया जाए। चयन समिति द्वारा चयन प्रकिया पूर्ण करने के उपरान्त अग्रिम कार्यवाही मुख्य चिकित्सा अधिकारी/सदस्य सचिव–जिला स्वास्थ्य सोसाइटी द्वारा नियमानुसार की जायेगी।

ब– काउन्सलर्स हेतु योग्यता एवं अनुभव–

- न्यूनतक शैक्षिक योग्यता निम्न विषयों में स्नातक डिग्री – सोशल वर्क/समाजशास्त्र/गृहविज्ञान/जीव विज्ञान/मनोविज्ञान।
- काउन्सलिंग/पब्लिक डीलिंग के क्षेत्र में कम से कम 5 वर्ष का अनुभव, कम्प्यूटर का अच्छा ज्ञान तथा हिन्दी, अंग्रेजी टाइपिंग की अच्छी जानकारी।
- 30 वर्ष से 50 वर्ष की आयु के अभ्यर्थियों को प्राथमिकता दी जाय, ताकि वह युवा वर्ग से अच्छी तरह संवाद स्थापित कर सकें तथा उन्हें उनकी समस्याओं के समाधान में विश्वास पूर्वक सहयोग दे सकें।

स–कर्तव्य एवं दायित्व–

महानिदेशालय से पूर्व में प्रेषित किये पत्र संख्याः प0क0/08–प्रशि0/ए0एफ0एच0सी0 क्लीनिक/2012–13/3373–18 दिनांक: 28.02.2013 द्वारा विस्तृत दिशा निर्देश के अनुसार।

द–चयन प्रकिया–

- 50 प्रतिशत अंक शैक्षिक योग्यता एवं अनुभव के आधार पर ।
- 50 प्रतिशत अंक अर्न्तवैयक्तिक संवाद कौशल के लिए हों जिसके लिए समिति द्वारा साक्षात्कार के दौरान विभिन्न प्रकार की परिस्थितियों में उनसे काउसिंलिंग हेतु कहा जाए।
- स्थानीय अभ्यर्थियों को प्राथमिकता दी जाए।

य– मानदेय– 12000/प्रतिमाह वर्ष 2012–13 की अनुमोदित कार्य योजना के अनुसार। वर्ष 2013–14 में प्रस्तावित राज्य कार्ययोजना के भारत सरकार द्वारा अनुमोदनोपरान्त संशोधन सम्भव है।

आपसे अनुरोध है कि चयन प्रकिया की समस्त औपचारिकताएं पूर्ण करते हुये दिनांक 25 मार्च, 2013 तक अधोहस्ताक्षरी को प्रत्येक दशा में सूचित करना सुनिश्चित करें, जिससे चयनित अभ्यर्थियो का 03 दिवसीय प्रशिक्षण राज्य स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण संस्थान, इन्दिरा नगर लखनऊ में सम्पन्न कराया जा सके तथा जनपद में ए.एफ.एच. क्लीनिक्स को कियाशील किया जा सके।

भवदीय,

(वी0पी0 गुप्ता)
महानिदेशक,
परिवार कल्याण।

पत्र संख्याः प0क0/08–प्रशिक्षण/ए.एफ.एच.एस./2012–13/ दिनांक:

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः

1. मिशन निदेशक–एन0आर0एच0एम0, एस0पी0एम0यू0, 19–ए विशाल काम्प्लेक्स, लखनऊ।
2. समस्त जिलाधिकारी/अध्यक्ष–जिला स्वास्थ्य सोसाइटी, समस्त मण्डलीय मुख्यालय जनपद, उत्तर प्रदेश।
3. समस्त मण्डलीय कार्यकम प्रबन्धकों को इस निर्देश के साथ कि जनपद में ए.एफ.एच.एस. क्लीनिक स्थापित करके कियाशील कराने में पूर्ण सहयोग प्रदान करें।

(वी0पी0 गुप्ता)
महानिदेशक,
परिवार कल्याण।